



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-54/2026

परमजीत सिंह बनाम जरनैल सिंह

दिनांक: 09-04-2026

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वास्ते सुनवाई पेश हुआ। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र मुख्य रूप से न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), पुवायाँ, शाहजहाँपुर के रिक्त होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का नोटिफिकेशन हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत स्थानान्तरण निष्प्रयोज्य हो गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की ओर से प्रस्तुत **दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-54/2026, परमजीत सिंह बनाम जरनैल सिंह**, निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।